

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 22.02.2019

आदेश


विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.2019 के क्रम संख्या 15 पर अंकित डा. रामकेश मीणा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) का सामान्य चिकित्सालय, करौली से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम, राजसमन्द में स्थानान्तरण किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. मीणा के पदनाम के कॉलम में कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) के स्थान पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग) संशोधित कर पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन भरतपुर/उदयपुर
- 5- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, करौली
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द
- 7- संबंधित अधिकारी
- 8- कम्प्यूटर सेल
- 9- निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव